

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 21, शुक्रवार, शाके 1947- सितम्बर 12, 2025 <i>Bhadra 21, Friday, Saka 1947- September 12, 2025</i>	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 22, 2025

संख्या प.10(न.पा.)(गठन) /डीएलबी/25/11347:-राज्य सरकार द्वारा बजट 2025-26 में राज्य के निम्न जिले की ग्राम पंचायतों को नवगठित नगरीय निकाय के रूप में अधिसूचित किया गया है।

अतः नवगठित नगर पालिकाओं में संबंधित उपखण्ड अधिकारी को निम्नानुसार प्राधिकारी/प्रशासक नियुक्त किया जाता है:-

क्रम संख्या	नवीन नगर पालिका का नाम	प्राधिकारी/प्रशासक	जिले का नाम
1	मनोहरथाना	उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना	झालावाड़
2	डग	उपखण्ड अधिकारी गंगधर	झालावाड़
3	समदडी	उपखण्ड अधिकारी सिवाना	बालोतरा
4	अरनोद	उपखण्ड अधिकारी अरनोद	प्रतापगढ़
5	पीसांगन	उपखण्ड अधिकारी पीसांगन	अजमेर
6	मनिया	उपखण्ड अधिकारी धौलपुर	धौलपुर
7	जसोल	उपखण्ड अधिकारी बालोतरा	बालोतरा
8	पलसाना	उपखण्ड अधिकारी दातांरामगढ़	सीकर
9	बीगोद	उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़	भीलवाडा
10	खेजरोली	उपखण्ड अधिकारी चौमूं	जयपुर
11	कालाडेर	उपखण्ड अधिकारी चौमूं	जयपुर
12	खानपुर	उपखण्ड अधिकारी खानपुर	झालावाड़
13	बनेडा	उपखण्ड अधिकारी बनेडा	भीलवाडा

14	मण्डार	उपखण्ड अधिकारी रेवदर	सिरोही
----	--------	----------------------	--------

उक्त प्राधिकारी/प्रशासक नवीन नगर पालिका में निर्वाचित बोर्ड के गठन होने तक नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों तथा कृत्यों का पालन करेंगे तथा प्राधिकारी/प्रशासक को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के प्रयोजनों के लिए नगर पालिका (Municipality) समझा जावेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

इन्द्रजीत सिंह,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।